

राजस्थान सरकार


राज्य बीमा एवं प्रा0 निधि विभाग, राजस्थान जयपुर

क्रमांक:-एफ 3/डेजर्ट कूलर/सा.प्र./2019-20/ 2798

दि0 6/12/19

सीमित निविदा सूचना

राज्यपाल महोदय की ओर से राज्य बीमा एवं प्रा0 निधि विभाग मुख्यालय जयपुर, मे डेजर्ट कूलर की आवश्यकता है। इस हेतु रजि. फर्म /कम्पनी संस्था से दरे आमंत्रित की जाती है। सम्बन्धित फर्म / कम्पनी /संस्था निर्धारित निविदा प्रपत्र में दिनांक 17.12.2019 दोपहर 2.00 बजे तक कार्यालय में भरकर प्रस्तुत करनी होगी। निविदा प्रपत्र एवं शर्तें राजस्थान उपापन पोर्टल (<http://sppp.rajnic.in>) एवं विभाग की वेबसाईट [www.sipf.rajasthan.gov.in](http://www.sipf.rajasthan.gov.in) से डाउनलोड की जा सकती हैं। निविदा प्रपत्र एवं शर्तें निदेशालय, राज्य बीमा एवं प्रा0 निधि विभाग, जयपुर के कार्यालय से कार्यालय समय में दिनांक 17.12.2019 को दोपहर 1.00 बजे तक प्राप्त किये जा सकते हैं। निविदा को उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष क्रयसमिति द्वारा दिनांक 18.12.2019 को प्रातः 11.00 बजे खोला जाएगा। विलम्ब से प्राप्त निविदाओं पर विचार नहीं किया जाएगा।

  
अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)  
राज्य बीमा एवं प्रा0 निधि विभाग  
राज0जयपुर

राज्य बीमा एवं प्रा0 निधि विभाग, राजस्थान जयपुर

विषय:- डेजर्ट कूलर क्रय करने का निविदा प्रपत्र

1. नाम फर्म / कम्पनी / संस्था:-.....

पता :-.....

टेलीफोन :-.....

पैन न .:-.....

फर्म का रजि. न .:-.....

GST न .:-.....

2. संदर्भ निविदा विज्ञप्ति क्रमांक ..... दिनांक .....

3. राज्य बीमा एवं प्रा0 निधि विभाग मुख्यालय में विजिटिंग डेजर्ट कूलर आपूर्ति हेतु दर दी जानी है।

स	विवरण	नग	अनुमानित लागत	डेजर्ट कूलर प्रति नग सभी कर सहित राशि रु. में
	<b>Desert Cooler</b> <b>Desert cooler Steel body With</b> <b>Colour size 26"X26"X33"</b> <b>Guage 22/24</b> <b>Complete Cooler Kit:- I.S.I. Mark</b> <b>With Accessories</b> <b>Tank Guage 20- Height 7"</b>	20नग	1.80 लाख	

4. दरें वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए मान्य होंगी ।

5. विभाग द्वारा डेजर्ट कूलर का नमूना मांगने पर 3 दिवस में फर्म द्वारा स्वयं के खर्च पर नमूना उपलब्ध कराना होगा। प्राप्त नमूने को उपापन समिति द्वारा अवलोकन/गुणवत्ता की जाँच करने के पश्चात नमूना सही पाये जाने पर ही आपूर्ति आदेश दिये जायेंगे। नमूना सही नहीं पाये जाने पर संबंधित फर्म को कार्य आदेश नहीं दिया जायेगा एवं दूसरी फर्म द्वारा दिये गये नमूने का अवलोकन कर निर्णय लिया जायेगा।


6. फर्म को दिये गये स्पेसिफिकेशन के अनुसार उच्च गुणवत्ता की सामग्री/पॉलिस/लोहा/मोटर/पम्प/आदि डेजर्ट कूलर में लगाने होंगे।

निविदादाता के हस्ताक्षर

राजस्थान सरकार  
राज्य बीमा एवं प्रा0 निधि विभाग, राजस्थान जयपुर

डेजर्ट कूलर क्रय करने की सामान्य शर्तें

- 1 समस्त निविदायें बन्द एवं शीलबन्द लिफाफे में निविदा सूचना के निर्देशानुसार निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधानी निधि विभाग, जयसिंह हाईवे, बनीपार्क, जयपुर के पते पर भिजवानी होगी।
- 2 निविदा प्रपत्र में दी गयी दर किसी भी परिस्थितियों में बदली नहीं जावे। दरों का इन्द्राज अंकों के साथ-साथ शब्दों में किया जावे। कटिंग होने की स्थिति में फर्म द्वारा लघु हस्ताक्षर के साथ दिनांक अंकित करना आवश्यक है।
- 3 दरें वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए ही मान्य होंगी।
- 4 सफल निविदादाता द्वारा डेजर्ट कूलर की आपूर्ति का कार्य किसी अन्य एजेंसी/फर्म को नहीं सौपेगा या उपभाडे (सब्लेट) पर नहीं देगा।
- 5 फर्म द्वारा आपूर्ति किये जाने वाले डेजर्ट कूलर की वारंटी अवधि कम से कम एक वर्ष की होगी। डेजर्ट कूलर खराब होने पर स्वयं के खर्चे पर ठीक करना होगा। विभाग द्वारा किसी प्रकार की अलग से राशि देय नहीं होगी।
- 6 फर्म द्वारा आपूर्ति किये जाने वाले डेजर्ट कूलर की जांच स्पेसिफिकेशन/नमूने के अनुसार कराई जायेगी।
- 7 फर्म द्वारा को स्पेसिफिकेशन/नमूने के अनुसार डेजर्ट कूलर की आपूर्ति करने पर ही भुगतान की कार्यवाही की जावेगी।
- 8 निविदा केवल उन्हीं फर्मों/व्यापारियों द्वारा दी जानी चाहिये जो उन वस्तुओं के लिए रजिस्टर्ड या अनुमोदित वितरक हो या उनके द्वारा दिया जाना चाहिये जो वास्तव में उस सामान को बेचते/तैयार करते हो, सप्लायर हो जिसके लिये निविदा दी गई है।
- 9 निविदा देने वाले फर्म को निविदा की शर्तें भली भांति पढ लेने चाहिये यदि इसमें कोई संदेह हो तो निदेशक राज्य बीमा एवं प्रा0नि0विभाग, जयपुर से सम्पर्क कर इसका स्पष्टीकरण प्राप्त कर लें।
- 10 अनुबंध/आदेश किसी भी समय भंग किया जा सकता है। यदि डेजर्ट कूलर की आपूर्ति स्पेसिफिकेशन/नमूने के अनुसार नहीं किया गया हो।
- 11 निविदा स्याही से भरनी चाहिये। पेंसिल या अन्य वस्तुओं से भरे गये निविदा पर कोई विचार नहीं किया जायेगा। सशर्त निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी।
- 12 निविदा देने वाले को प्रपत्र के हर पन्ने पर अन्त में निविदा एवं अनुबंध की समस्त शर्तों को मानने के प्रमाण में हस्ताक्षर करने चाहिये।
- 13 सरकार किसी भी निविदा को स्वीकृत करने का अधिकार अपने पास सुरक्षित रखती है। यह आवश्यक नहीं कि वह निम्न दर निविदा को ही स्वीकार करें। वह किसी भी निविदा को उसके कारणों को बताये बिना अस्वीकार/रद्द कर सकती है। निविदादाता द्वारा आमंत्रित की गई मात्रा या वस्तुओं/कार्यों में से सरकार के निर्णयानुसार उन सम्पूर्ण या आंशिक वस्तुओं या मात्रा /कार्य के लिए आदेश दिये जा सकते हैं।
- 14 डेजर्ट कूलर की आपूर्ति के बारे में किसी प्रकार की कोई जानकारी की आवश्यकता हो तो किसी भी कार्य दिवस में बीमा भवन, जयसिंह हाईवे बनीपार्क, जयपुर के कार्यालय में उपस्थित होकर प्राप्त की जा सकती है।
- 15 किसी प्रकार का विवाद होने पर निदेशक/अति. निदेशक(प्रशासन) राज्य बीमा एवं प्रा0 निधि विभाग, राजस्थान जयपुर का निर्णय अन्तिम होगा। विवाद होने पर न्याय क्षेत्र जयपुर होगा।
- 16 डेजर्ट कूलर की आपूर्ति आदेश में दिये गये समय के अनुसार करनी पड़ेगी। नियमानुसार क्षतिपूर्ति राशि काटी जायेगी तथा इसके पश्चात आपूर्ति करने पर भुगतान नहीं होने/विलम्ब से होने पर विभाग की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
- 17 निविदा के सम्बन्ध में निदेशक राज्य बीमा एवं प्रा0नि0विभाग, जयपुर का निर्णय अन्तिम माना जायेगा।
- 18 राजस्थान लोग उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 के सभी उपबन्ध प्रभावी रहेंगे जिसमें निहित शर्तों की पालना के लिए अनुबन्धित फर्म बाध्य होगी।
- 19 डेजर्ट कूलर आपूर्ति हेतु निविदादाताओं द्वारा निर्धारित प्रारूप में दरें दिनांक 17.12.2019 दोपहर 2.00 बजे तक बन्द लिफाफे में प्रस्तुत करनी होगी।

  
अति. निदेशक (प्रशासन)  
राज्य बीमा एवं प्रा0 निधि विभाग  
राज0 जयपुर

मैं /हम निदेशालय राज्य बीमा एवं प्रा0 निधि विभाग, राजस्थान जयपुर द्वारा जारी निविदा संख्या 2799 वर्ष 2019-20 दिनांक 6.12.19 में वर्णित सभी शर्तों को भली भांति पढ लिया है। हम उपरोक्त वर्णित सभी शर्तों की पालना करने के लिए सहमत है एवं सहमति के स्वरूप मेरे / हमारे द्वारा हस्ताक्षर कर दिये गये है।

निविदादाता के हस्ताक्षर